

कार्यालय नियंत्रक  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
म०प्र०, भोपाल.

आदेश

क्रमांकजी०बी०/दो(२९)२०१८/ १०५८

भोपाल, दिनांक 16-5-19

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक जी०बी०/दो(२९)२०१८/२०५८ दिनांक २८-७-२०१८ के अनुक्रम में पंजीकृत गैर सरकारी मुद्रणालयों से कराये जाने वाले स्क्रीन प्रिंटिंग एवं अन्य कार्यों हेतु अनुमोदित दरों की वैधता अवधि दिनांक ३०-६-२०१९ तक के लिए बढ़ाई जाती है।

नियंत्रक द्वारा नस्ती पर आदेशित।

  
संयुक्त नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
म०प्र०,भोपाल.

पृ०क्र०जी०बी०/दो(२९)२०१८/ १०५८  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 16/5/19

- 1- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- 2- सचिव म०प्र० शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- 3- रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर खण्डपीठ,
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष,
- 7- उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर रखें जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करें,
- 8- उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर/इन्दौर/रीवा,
- 9- समस्त निविदाकार (जिनके द्वारा उक्त आदेश में स्वीकृत दर हेतु इस कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक 1296 दिनांक 22-5-2018 की कामर्शियल निविदा में भाग लिया गया है) .....
- 10- नियंत्रक के स्टेनो/गार्ड नस्ती हेतु।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
संयुक्त नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
म०प्र०,भोपाल.